

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक**  
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या -  
निर्णय दिनांक-

55 / 2021  
01.04.2021

उनवान  
श्रीमती सम्पत पत्नी गिराज जाति मीना निवासी गफूरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक  
- प्रार्थीया

बनाम  
तहसीलदार उनियारा जिला टोक  
- प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र 128 भू राजस्व अधिनियम  
उपस्थित:- श्री बरकततुला खां वकील प्रार्थीया


**निर्णय**


प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:-  
यह कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजी खसरा नम्बर 441/203 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम गफूरपुरा तहसील उनियारा जिला टोक में स्थित है। जिस पर प्रार्थीया का निर्विघ्न एवं निर्विवाद रूप से कब्जा काशत चला आ रहा है। प्रार्थीया के पडोसी काशतकारान द्वारा प्रार्थी को आए दिन परेशान करते हैं। जिससे आए दिन विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की सीमाए बिगडी हुई है। उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाकर सीमाये निर्धारित किया जाना आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रार्थीया की अधियाचना है कि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजी खसरा नम्बर 441/203 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम गफूरपुरा तह0 उनियारा की पत्थरगढी कर सीमाये निर्धारित करने हेतु प्रतिपक्षी तहसीलदार उनियारा को आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी से जवाब लिया गया। प्रतिपक्षी तहसीलदार उनियारा को वावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीया वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजी खसरा नम्बर 441/203 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम गफूरपुरा तह0 उनियारा देह खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी पर विवाद की




  
उप खण्ड अधिकारी  
उनियारा

संभावना के मध्य नजर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने की वैधानिक अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीया की खातेदारी की उक्त वर्णित आराजी की पत्थरगढी करवाया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 441/203 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम गफूरपुरा तह0 उनियारा का प्रार्थीया से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करें। फरीकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पालनार्थ तहसीलदार उनियारा को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट पेश करें।

यह निर्णय आज दिनांक 01.04.2021को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



  
सुधी रजनीश्वरी  
उपखण्ड अधिकारी  
(आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी उनियारा  
जिला टोंक